न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी :अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 51/2025 FSSA

1. सरकार जरिये प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल (मालिक), मैसर्स —लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी , प्लॉट नं. 59 , खसरा नं. 366 मधुवन विहार कॉलोनी ,सैंथल रोड., दौसा जिला दौसा (राज.)।
2. श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री राधा मोहन खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स धौकरिया डिस्ट्रीबूटर्स, धौकरिया भवन, पंचायत समिति रोड़ जे 14, दौसा जिला दौसा।
3. निखिल देवीप्रसाद जायसवाल पुत्र श्री जायसवाल (नॉमिनी) के के नगर घाटलोडिया के पास विधाता सोसायटी अहमदाबाद शहर गुजरात 380061, मैसर्स किचन एक्सप्रेस लिमिटेड, 29/पी , संतेज वडसर रोड संतेज कलोल जिला गांधीनगर गुजरात 382721 ।
4. मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड, 29/पी , संतेज वडसर रोड संतेज कलोल जिला गांधीनगर गुजरात 382721 ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित।

: अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मित्तल उपस्थित।

दिनांकः—12.01.2026

—: आदेश :—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.02.2025 को दोपहर बाद 02.10 बजे मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट न0 59 ,खसरा नं. 366 मधुवन विहार कॉलोनी ,सैंथल रोड. दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर लकडी की रैक में मीट मसाला 100 ग्राम पैकिंग के 24 पैकिट (24 पैकिट X 100 ग्राम) मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) आम जनता को विक्रय किया जा रहा था, (24 पैकिट 100 ग्राम) में मिलावट का शक होने पर इनमें से (24 पैकिट X 100 ग्राम के कुल 24 पैकिट) नमूने की जॉच हेतु 20 पैकिट मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) खरीदी। जिसकी कीमत 1700/रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।
नमूने के लिए खरीदशुदा मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) के चार पार्टो के लिए चार लेबर तैयार कर लेबलों पर स्वंय ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटों पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG-4635 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतियॉं तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. का सील बन्द लिफाफा श्री बाबू लाल सैनी होमगार्ड 02 मुख्यालय द्वारा दिनांक 20.02.2025 को राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.02.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.02.2025 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) के नमूने की मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएसस/557/एक्ट/2025/1109 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार Contravens Regulation No.2.9.20(2) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार मित्तल की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/557/एक्ट/2025/1109 दिनांक 01.04.2025 में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच में Salt content 5% से अधिक पाया गया है। 5% से अधिक Salt content होने पर लेबल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये था, जो प्रदर्शित नहीं किया जाकर Regulation No.2.9.20(2) of Food safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का भी उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 व 4 के प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/557/एक्ट/2025/1109 दिनांक 01.04.2025 का अवलोकन करने पर रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को Substandard या Misbrand होने का उल्लेख नहीं किया गया है।

खाद्य विश्लेषक द्वारा यह उल्लेख किया है कि Salt content 5% से अधिक होने पर खाद्य पदार्थ के लेबल पर दर्शाया जाना चाहिये। खाद्य पदार्थ के नमूने में 0.35 प्रतिशत Salt अधिक पाया गया है जो खाद्य पदार्थ की क्वालिटि को परिवर्तित नहीं करता है और न ही मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव देता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रकरण में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। भविष्य में खाद्य पदार्थ के Label में इस प्रकार की गलती नहीं की जायेगी। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाने की कृपा करें।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या : 51/2025 FSSA

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/557/एक्ट/2025/1109 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand) के नमूने में Salt content 5% से अधिक पाया गया है। 5% से अधिक Salt content होने पर खाद्य पदार्थ के लेबल पर प्रदर्शित नहीं किया जाकर उक्त खाद्य पदर्थ का विक्रय किये जाने पर Regulation No.2.9.20(2)(6) of Food safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 एवं एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा Regulation No.2.9.20(2)(6) of Food safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 एवं एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन कर मीट मसाला किचन एक्सप्रेस ब्राण्ड (Meat Masala Kitchen Express Brand)का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त सं.1 श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, प्लाट न0 59 खसरा न0 366, मधुवन विहार कॉलोनी, सैथल रोड दौसा पर 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री राधा मोहन खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स धौकरिया डिस्ट्रीबूटर्स, धौकरिया भवन, पंचायत समिति रोड जे 14 दौसा पर 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं. 3 निखिल देवीप्रसाद जायसवाल पुत्र श्री जायसवाल के.के. नगर घाटलोडिया के पास विधाता सोसायटी अहमदाबाद शहर गुजरात मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड 29/पी. संतेज बडसर रोड संतेज कलोल जिला गांधीनगर गुजरात, निर्माता पर 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्तानुसार शास्ति राशि निर्णय दिनांक 12.1.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 12 .1.2026

क्रमांक/FSSA/ 2026/ 10-15

कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल (मालिक), मैसर्स –लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी ,प्लॉट नं. 59 , खसरा नं. 366 मधुवन विहार कॉलोनी ,सैंथल रोड., दौसा जिला दौसा (राज.)।
4. श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री राधा मोहन खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स धौकरिया डिस्ट्रीबूटर्स, धौकरिया भवन, पंचायत समिति रोड़ जे 14, दौसा जिला दौसा।
5. निखिल देवीप्रसाद जायसवाल पुत्र श्री जायसवाल (नॉमिनी) के के नगर घाटलोडिया के पास विधाता सोसायटी अहमदाबाद शहर गुजरात 380061, मैसर्स किचन एक्सप्रेस लिमिटेड, 29/पी , संतेज वडसर रोड संतेज कलोल जिला गांधीनगर गुजरात 382721 ।
6. मैसर्स किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड, 29/पी , संतेज वडसर रोड संतेज कलोल जिला गांधीनगर गुजरात 382721 ।

12.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner